

राजस्थान –सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी पार्ट-12 / ए-439 / 2018 / दिनांक:—

संशोधन-आदेश


निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 95 दिनांक 24.01.18 में क्रम संख्या 28 पर अंकित श्री प्रवीण कुमार जीनगर, नर्स-2, की 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक 03.04.17 के स्थान पर 08.04.17 पढी जावे। शेष यथावत।

-sd-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी पार्ट-12 / ए-439 / 2018 / 175 दिनांक:—06/02/2018

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन अजमेर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा।
- 3 संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 5 आदेश पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।